अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 है। ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निर्वचन**–(1) इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(प) ''अधिनियम'' से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) अभिप्रेत है,

(पप) ''महालेखाकार'' से महालेखाकार, राजस्थान अभिप्रेत है,

(पपप) ''पूर्ण दिन'' के अन्तर्गत रविवार और अवकाश सम्मिलित हैं किन्तु बैठक का दिन और नोटिस की प्राप्ति का दिन उसके अन्तर्गत नहीं है,

(पअ) ''दिन'' के मध्यरात्रि को शुरू होने वाला और समाप्त होने वाला कलैण्डर दिन अभिप्रेत है किन्तु मुख्यालय से ऐसी अनुपस्थिति किसी को, जो 24 घण्टों से अधिक नहीं है, एक दिन गिना जायेगा चाहे अनुपस्थिति किसी भी समय शुरू या समाप्त होती हो,

(अ) ''विकास आयुक्त'' से राज्य सरकार द्वारा उस पदाभिद्यान से नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है,

(अप) ''निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग'' से राज्य सरकार द्वारा उस पदाभिद्यान से नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है,

(अपप) ''प्रपत्र'' से इन नियमों से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है,

(अपपप) ''कार्यालय प्रधान'' से किसी पंचायत के मामले में सरपंच, किसी पंचायत समिति के मामले में विकास अधिकारी और किसी जिला परिषद् के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है,

(पग) ''भू–राजस्व'' से भूमि या भूमि में किसी भी हित या भूमि के उपयोग के संबंध में किसी भी प्रकार से किसी भी मद्धे राज्य सरकार को प्रत्यक्षः संदेय वार्षिक मांग अभिप्रेत है और समनुदेशित भू–राजस्व उसके अन्तर्गत है,

(ग) ''बैठक'' से संबंधित पंचायती राज संस्था या उसकी स्थायी समिति, यदि कोई हो, की बैठक अभिप्रेत है,

(गप) ''सदस्य'' से किसी पंचायती राज संस्था का कोई सदस्य अभिप्रेत है और कोई सरपंच उसके अन्तर्गत है,

(गपप) ''प्रस्ताव'' से पंचायती राज संस्था या उसकी स्थायी समिति, यदि कोई हो, की बैठक में विचार के लिए किसी सदस्य द्वारा किया गया कोई प्रस्ताव अभिप्रेत है,

(गपपप) ''पंचायत'', ''पंचायत समिति'' और ''जिला परिषद्'' से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के अधीन, क्रमशः किसी गांव, किसी खण्ड और जिले के स्तर पर स्थापित स्वायत्त शासन की संस्थाएं अभिप्रेत है,

(गपअ) ''पंचायत निधि'' से प्रत्येक पंचायती राज संस्था के लिए अधिनियम की धारा 64 के अधीन उसके नाम से गठित निधि अभिप्रेत हैं,

(गअ) ष्पटवारीष् से उस पदाभिद्यान से नियुक्त कोई पदधारी अभिप्रेत है,

(गअप) ''अनुसूची'' से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है,

(गअपप) ''सचिव'', ''विकास अधिकारी'' या ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' से क्रमशः किसी पंचायत, पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् के लिए राज्य सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे इन निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पदाभिद्यान से नियुक्त अभिप्रेत है,

(गअपपप) ''धारा'' से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है,

(गपग) ''तहसीलदार'' से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के उपबंधों के अधीन उस पदाभिद्यान से नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है,

(गग) ''कोषागार'' के अन्तर्गत उप कोषागार होगा और जहां कोई पंचायत अपनी निधियां किसी डाकघर या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक/ग्रामीण विकास बैंक की किसी शाखा में रखे वहॉ उसके अन्तर्गत ऐसा डाकघर या बैंक की शाखा भी होगी,

(गगप) ''वर्ष'' से 1 अप्रेल से शुरू होने वाला और अगली 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये समस्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ है जो अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिये गये है।